**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1725**

**05 मार्च, 2020 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**परिधान उद्योग पर संकट**

**1725. श्री संजय सिंहः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार की ओर से रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेन्ट्रल टैक्स एंड लेविस (आरओएससीटीएल) योजना के अंतर्गत परिधान उद्योग को 5000 करोड़ रुपये की धन वापसी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस समस्या से निपटने की योजना का ब्यौरा क्या है क्योंकि उद्योग संकट में है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

**(क) से (ग):** दिनांक 14 जनवरी, 2020 की अधिसूचना के अनुसार अपैरल और मेड-अप्‍स हेतु आरओएसएल + एमईआईएस के 4% की तुलना में आरओएससीटीएल के तहत कम लाभ प्राप्‍त करने वाले अपैरल और मेड-अप्‍स के निर्यात हेतु फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्‍य के 1% तक विशिष्‍ट एक मुश्‍त अतिरिक्‍त तदर्थ प्रोत्‍साहन प्रदान किया जाता है। उपरोक्‍त अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसके माध्‍यम से निर्यातक आरओएससीटीएल दायर कर सकते हैं, 1% अतिरिक्‍त तदर्थ प्रोत्‍साहन दावें दिनांक 20 फरवरी, 2020 को कार्यान्वित किए गए हैं। 7 मार्च, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की निर्यात अवधि हेतु आवेदनों के प्राप्‍त होने जिसकी अंतिम तिथि 30 जून, 2020 है, के उपरांत आरओएससीटीएल और अतिरिक्‍त तदर्थ प्रोत्‍साहनों के तहत राशि की वापसी का संपूर्ण विवरण उपलब्‍ध हो जाएगा।

\*\*\*\*\*